न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीणा, RAS

अपील संख्या 44 / 2020

1 भगवती देवी स्त्री छगनलाल।
2 कृष्ण कुमार पुत्र छगनलाल।
3 नवीन कुमार पुत्र छगनलाल।
4 नौरंगलाल पुत्र छगनलाल।
5 ओमवती स्त्री हीरालाल जरिये मुख्तयार नौरंगलाल पुत्र कुरड़ाराम समस्त जाति खटीकान निवासीगण मोहल्ला खटीकान झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
6 प्रभाती पुत्र मालाराम जाति नायक निवासी दीपलवास तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 श्रीमती बबली उर्फ बबीता पुत्री नथमल जाति नायक।
2 मोतीलाल पुत्र बाबुलाल जाति मेघवाल।
2/1 श्रीमती विमला पत्नी मोतीलाल।
2/2 राजेन्द्र पुत्र मोतीलाल।
2/3 मुकेश कुमारी पुत्री मोतीलाल।
2/4 पूजा पुत्री मोतीलाल।
3 भंवरलाल पुत्र नागरमल जाति नायक।
4 श्रीमती तिजली स्त्री नथमल।
5 मुनी पुत्री रामेश्वर निवासीगण दिपलवास तहसील व जिला झुंझुनू।
5/1 सुमन पुत्री मुन्नी पत्नी राजेन्द्र जाति नायक निवासी अजाडी कलां तहसील व जिला झुंझुनू।
5/2 सरोज पुत्री मुन्नी पत्नी बन्नेसिंह जाति नायक निवासी बागोरा तहसील खेतडी जिला झुंझुनू।

5/3 सजना पुत्री मुन्नी जाति नायक निवासी मलसीसर जिला झुंझुनू।
5/4 शीशपाल पुत्र बालाराम जाति नायक निवासी मलसीसर जिला झुंझुनू।
6 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार झुंझुनू।
7 उप पंजियक झुंझुनू।
8 रामवतार पुत्र माईराम जाति मेघवाल निवासी ओजटू तहसील चिडावा जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 20.10.2015
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू उनवानी
श्रीमती बबली उर्फ बबीता बनाम भगवती देवी आदि
दावा बाबत घोषणात्मक,बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
मुकदमा संख्या 261/2013।

उपस्थिति :

1. श्री रविराज, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री हरिप्रसाद सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
3. श्री राजेश पूनियां, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः—12-8-22

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 261/2013 में पारित निर्णय दिनांक 20.10.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय ने वादी रेस्पोडेंट संख्या 01 ने दावा बाबत घोषणा विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर ग्राम दिपलवास तहसील झुंझुनू की भूमि हाल खसरा नम्बर 154,162,165 के सन्दर्भ में अनुतोष चाहा है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 20.10.2015 से वाद वादी स्वीकार किया है। इससे व्यथित होकर अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 25.02.2016 को उभयपक्ष को सुनकर धारा 5 का आवेदन स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कन्डोन किया गया है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय की आदेशिका के अनुसार दिनांक 25.10.2013 को वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु आदेश दिये गये है। इसके उपरान्त दिनांक 25.11.2013,20.01.2014,19.03.2014,07.05.2014, 02.07.2014, 14.08.2014, 29.09.2014, 24.11.2014, 05.01.2015, 16.02.2015 तक पत्रावली प्रतिवादीगण की तलबी में चल रही थी। दिनांक 08.04.2015 को पत्रावली जवाब दावे हेतु नियत की गई है। इसके उपरान्त विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट का जवाब दावा प्राप्त किये बिना, तनकी कायम किये बिना, उभयपक्ष की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त किये बिना उभयपक्ष की बहस सुने बिना राजस्थान कोर्ट मेन्यूअल के विधिक प्रावधानों के विपरित मनमर्जी से विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दिया है। विचारण न्यायालय की आदेशिका के अनुसार दिनांक 27.08.2015 को आगामी तिथि 04.11.2015 नियत की गई थी। विचारण न्यायालय ने इस तिथि से पूर्व प्रतिवादीगण अपीलांट को सूचित किये बिना केवल मात्र वादी से आवेदन लेकर दिनांक 20.10.2015 को विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दिया है। विचारण न्यायालय की यह कार्यवाही विधिक प्रक्रिया एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरित होने से अपास्त किये जाने योग्य है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

कथनों के समर्थन में आर.आर.डी. 2019 पेज 529,आर.एल.डब्ल्यू 2007(2) आर. जे.पेज 997,आर.आर.डी. 2016 पेज 280 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्राप्त नही होने पर विचारण न्यायालय ने पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था। विचारण न्यायालय में चाराजोही नही कर अपीलांट ने अपील प्रस्तुत कर विधिक त्रुटि की है। प्रकरण के गुणावगुण का विश्लेषण करने पर विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत माना जायेगा। विवादित भूमि में वादिया बबली का हक हिस्सा था, तीजली द्वारा नाबालिग बबली के हिस्से का किया गया बेचान विधि सम्मत नही है। विचारण न्यायालय की डिक्री के उपरान्त बबली द्वारा किये गये विक्रय पत्र को अपीलांट द्वारा समक्ष सिविल न्यायालय में चुनौती देकर निरस्त नही करवाया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रकरण में विचारण न्यायालय की आदेशिका के अनुसार दिनांक 25.10.2013 को वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु आदेश दिये गये है। इसके उपरान्त दिनांक 25.11.2013, 20.01.2014,19.03. 2014,07.05.2014, 02.07.2014, 14.08.2014, 29.09.2014, 24.11.2014, 05.01. 2015, 16.02.2015 तक पत्रावली प्रतिवादीगण की तलबी में चल रही थी। दिनांक 08.04.2015 को पत्रावली जवाब दावे हेतु नियत की गई है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसके उपरान्त विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट का जवाब दावा प्राप्त किये बिना, तनकी कायम किये बिना, उभयपक्ष की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त किये बिना उभयपक्ष की बहस सुने बिना राजस्थान कोर्ट मेन्यूअल के विधिक प्रावधानों के विपरित मनमर्जी से विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दिया है। विचारण न्यायालय की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

आदेशिका के अनुसार दिनांक 27.08.2015 को आगामी तिथि 04.11.2015 नियत की गई थी। विचारण न्यायालय ने इस तिथि से पूर्व प्रतिवादीगण अपीलांट को सूचित किये बिना केवल मात्र वादी से आवेदन लेकर दिनांक 20.10.2015 को विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दिया है। विचारण न्यायालय की यह कार्यवाही विधिक प्रकिया एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरित होने से अपास्त किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रतिवादीगण अपीलांट से जवाब दावा प्राप्त कर वाद व जवाब दावे के आधार पर तनकी कायम कर उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.09.2022 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 12-8-22 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीणा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर